

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १५६] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई १, १९७२/आषाढ १०, १८९४
No. 156] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 1972/ASADHA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st July 1972

SUBJECT.—*Special facilities for Indians returning from/residing abroad.*

No. 96-ITC(PN)/72.—Attention is invited to para 123(3)(ii) of Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book, Vol. I) for April 1972—March 1973 in terms of which applications in the prescribed form are to be made to the Reserve Bank of India for permission to retain foreign currency balances.

2. It has been decided that applications for permission to retain foreign currency balances abroad by the Indian nationals returning from abroad should be made to the Reserve Bank of India in the form prescribed in the Appendix to this Public Notice. In the case of persons of Indian origin residing abroad, only a declaration regarding foreign currency balances should be made and the Reserve Bank of India will acknowledge the receipt of such a declaration. The prescribed form in which such a declaration is to be made by the persons residing abroad will be notified separately.

3. The provisions of para 122(3)(ii) of Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book Vol. I) for April 1972—March 1973 may be deemed to have been modified accordingly.

APPENDIX

Application for permission to retain foreign currency balance

(1) Full name and address in India/abroad.

(2) Present nationality.

(3) Country of birth.

(4) Academic qualifications.

(5) Countries in which you were residing for more than three months before returning to India with period of residence and nature of your employment in each country.

(6) Purpose of your stay in each of the countries named above.

(7) Date on which you arrived in India/propose to arrive in India.

(8) Details of accounts maintained abroad:

Name(s) and address(es) of the bank(s) with whom the account(s) is/are kept.	Type of account(s) i. e. current savings, Fixed Deposits,	Whether held singly or jointly with any other person; if latter, the name, relationship and present address of the joint account holder.	Present balance in the account. (s)
--	---	--	-------------------------------------

(i)

(ii)

(iii) etc.

(9) Source of funds in the account(s).

(10) If the funds in the account(s) represent your earnings from employment, please state the name and address of the employer(s); in case you were employed by any firm or company the place of its head office/registered office may also be mentioned.

(11) Do you own any foreign currency securities? If so, have you made a separate application to the Reserve Bank for obtaining a holding licence in respect thereof?

I hereby confirm that the foreign currency account(s) listed above constitute a complete statement of my foreign currency holdings abroad and I certify that all the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Signature of the applicant).

PLACE:

DATE:

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1972

विषय .—विदेश से लाटने वाले/विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए विशेष सुविधाएं।

संख्या .—96 आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक वा० 1) के खंड 1 के पैरा 122 (3) (2) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार विदेशी मुद्रा के संतुलन बनाए रखने का अनुमति के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र देने हैं।

2. यह निश्चय किया गया है कि विदेश से लाटने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में विदेशी मुद्रा का संतुलन बनाए रखने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में निर्धारित प्रपत्र में रिजर्व बैंक आफ इंडिया को देने चाहिए। विदेश में रहने वाले मूल भारतीय व्यक्तियों के मामले में विदेशी मुद्रा संतुलन के संबंध में केवल एक घोषणा-पत्र देना चाहिए और रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐसे घोषणापत्र की प्राप्ति की सूचना देगा। निर्धारित प्रपत्र जिसमें विदेश में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसा घोषणापत्र दिया जाना है उसे अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

3. अप्रैल 1972—मार्च 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक वा० 1) के खंड 1 के पैरा 122 (3) (2) की शर्तें तदनुसार आशोधित की गई समझी जाएं।

परिशिष्ट

मुद्रा संतुलन बनाए रखने के सम्बन्ध में अनुमति के लिए आवेदन-पत्र

1. भारत का/विदेश का पूरा नाम और पता
2. वर्तमान राष्ट्रियता
3. मातृ भूमि
4. शैक्षणिक योग्यताएं
5. उन देशों का नाम जहां आप भारत लौटने से पूर्व तीन माह से ज्यादा ठहरे थे—इसके साथ ठहरने की अवधि और प्रत्येक देश में आपका नियोजन किस प्रकार का था इसे भी दीजिए।
6. उपर्युक्त उल्लिखित प्रत्येक देश में ठहरने का आपका उद्देश्य
7. भारत में आने की तिथि/भारत में आने का उद्देश्य

8. विदेशों में रखे गए लेखों के व्यौरे :—

जिस बैंक (बैंकों) में लेखा (लेखे) है/हैं	किस प्रकार का लेखा है—अर्थात्	क्या किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ अकेले या संयुक्त रूप में था,	लेखे (लेखों) में वर्तमान जमा
उनका नाम और पता (पते)	चालू, बचत, स्थिर जमा है आदि	यदि बाद वाला है, तो संयुक्त लेखा रखने वाले का नाम, संबंध और वर्तमान पता	

(1)

(2)

(3) आदि

9. लेख (लेखों) में जमा निधि होने के स्रोत

10. यदि लेखे (लेखों) में जमा निधि आपके नियोजन के अर्जन से है, तो कृपया नियोजक (नियोजकों) का नाम और पता बताइए; यदि आप किसी फर्म या कंपनी में नियोजित थे तो इसके प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय का भी उल्लेख करें।

11. क्या आप के कोई विदेशी मुद्रा सुरक्षा रखते हैं? यदि हां, तो क्या आपने उसके संबंध में सम्पत्ति लाहमेंस प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया को एक अलग आवेदन पत्र दिया है?

मैं एतद् द्वारा पुष्टि करता हूं कि ऊपर सूचीबद्ध विदेशी मुद्रा लेखा/लेखे विदेश में मेरी विदेशी मुद्रा सम्पत्ति का पूर्ण विवरण देते हैं। मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिए गए सभी व्यौरे मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।